



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 9448 वर्ष 2026

मेसर्स आई.आर. टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: देवेश त्रिपाठी, संदीप पांडे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 37

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देवेश त्रिपाठी और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई।

2. प्रस्तावित आदेश की प्रकृति को देखते हुए, प्रतिवादी संख्या 3 को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है, जिनके हितों का ध्यान इसी आदेश में रखा जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता ने दिनांक 10.10.2025 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके द्वारा श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने आवेदन 15-डी को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि यह आवेदन स्थगन आवेदन है और नियोक्ता, अर्थात् याचिकाकर्ता, साक्ष्य प्रस्तुत करने में रुचि नहीं रखता है। इसी आदेश द्वारा, नियोक्ता-याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया गया था।

4. साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित पहलू के बावजूद, न्यायालय अपना निर्णय आवेदन 15-डी की विषयवस्तु तक ही सीमित रख रहा है, जिसे 10.10.2025 को अस्वीकृत कर दिया गया था।

5. निवेदन यह है कि आवेदन स्थगन आवेदन नहीं था, बल्कि प्रारंभिक मुद्दा "क्या श्रमिक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आता है?" निर्धारित करने का अनुरोध किया गया था।

6. आगे यह निवेदन किया गया है कि उक्त आवेदन 11.07.2025 को दाखिल किया गया था और इस पर कभी निर्णय नहीं लिया गया तथा जब इस पर विचार किया गया, तो इसे गलत तरीके से स्थगन आवेदन मान लिया गया।

7. विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के आचरण पर आदेश पत्र में विस्तार से चर्चा की गई है और जब याचिकाकर्ता कार्यवाही में सहयोग करने के लिए तैयार नहीं था, तो श्रम न्यायालय द्वारा आदेश पारित करना उचित था।

8. मैंने प्रस्तुत दलीलों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. आवेदन 15-डी से यह स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय द्वारा केवल यही मुद्दा उठाया गया है कि क्या श्रमिक की सेवा वैध रूप से समाप्त की गई थी?

10. जब श्रम न्यायालय मामले का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगा, तो सबसे पहले यह जांच करना आवश्यक होगा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 ('अधिनियम, 1947') के प्रावधान लागू होते हैं या नहीं। अन्यथा, गुण-दोष के आधार पर निर्णय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या उससे बाहर हो सकता है।

11. इस स्थिति में, आवेदन 15-डी द्वारा निर्धारित मुद्दा मुख्य मुद्दा होने के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा उक्त मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में अलग से विचार करने की प्रार्थना को स्वीकार किए बिना, और कार्यवाही के वर्तमान चरण को ध्यान में रखते हुए, इस याचिका का निस्तारण निम्नलिखित शर्तों पर किया जाता है:-

(i). श्रम न्यायालय मामले संख्या 52/2020 की कार्यवाही का निर्णय इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से **तीन माह** की अवधि के भीतर करेगा;

(ii). मामले का अंतिम निर्णय करते समय, अधिनियम, 1947 की प्रयोज्यता से संबंधित मुद्दे को दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर प्रदान करने के बाद उसके गुण-दोष के आधार पर निर्धारित और तय किया जाएगा;

(iii). श्रम न्यायालय द्वारा किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन नहीं दिया जाएगा और निर्णय तीन महीने से अधिक नहीं चलेगा, जैसा कि निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)

28 मार्च 2026

ज्योत्सना

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।